रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 329] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 12, 2008/फाल्गुन 22, 1929
No. 329] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 12, 2008/PHALGUNA 22, 1929

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 मार्च, 2008

का.आ. 483(अ).—जैसाकि, केन्द्र सरकार ने, विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 (1967 का 37) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 7 फरवरी, 2008 की अधिसूचना संख्या का.आ. 276(अ), जो भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में उसी तारीख को प्रकाशित की गई थी, के तहत स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) को विधि-विरूद्ध संगम घोषित किया है ;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त विधि-विरूद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 की धारा 42 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्द्वारा यह निदेश देती है कि पूर्वोक्त विधि-विरूद्ध संगठन के सम्बन्ध में उक्त अधिनियम की धारा 7 और धारा 8 के अधीन उसके द्वारा प्रयोक्तव्य सभी शक्तियां, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी ।

[फा. सं. 14017/6/2007-एन.आई.-III]

अरूण कुमार यादव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 12th March, 2008

S.O. 483(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967 (37 of 1967), the Central Government have declared the "Students Islamic Movement of India (SIMI)" as an unlawful association *vide* notification number S.O. 276(E), dated the 7th February, 2008 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) of same date.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Section 42 of the said Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967, the Central Government hereby directs that all the powers which are exercisable by it under Sections 7 and 8 of the said Act shall be exercised also by the State Governments and the Union Territory Administrations in relation to the aforesaid unlawful association.

[F. No. 14017/6/2007-NI-III]

ARUN KUMAR YADAV, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.